कार्यालय नगर पंचायत केलाखेड़ा (ऊधम सिंह नगर)

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18 मार्च 2016 के द्वारा बनाये गये प्लास्टिक अपशिष्ट नियम 2016 के अंतर्गत नगर पंचायत केलाखेड़ा हेतु उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम-१९१६ (उत्तराखंड में यथाप्रवृत्त) की धारा 298 ग (घ) एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 एवं 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत नगर पंचायत केलाखेड़ा द्वारा बनाये गए "प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उप-नियम, 2022" नगर पंचायत केलाखेड़ा के अधिवेशन दिनांक २८.१२.२०२२ की विशेष प्रस्ताव सं०-१ के माध्यम से रखा गया एवं आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु विशेष संकल्प से पारित हुआ।

अतः उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम-१९१६ (उत्तराखंड में यथाप्रवृत्त) की धारा-३०१ के प्रविधानानुसार नगर पंचायत द्वारा तैयार किये गए "प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उप-नियम, 2022" का अंतिम आलेख निकाय की वेबसाइट www.nppkelakhera.in एवं कार्यालय नगर पंचायत केलाखेड़ा के अधिष्ठान एवं निर्माण अनुभाग में अवलोकन हेतु उपलब्ध है, जिसका अवलोकन प्रकाशन की तिथि को प्रातः १० बजे से किया जा सकता है, संबंधित हितग्राही व्यक्ति/दुकान/प्रतिष्ठान/कार्यालय आदि जिसे इस उपविधि का प्रभाव पड़ता हो, उनसे नगर पंचायत केलाखेड़ा जिला-ऊधम सिंह नगर द्वारा प्रकाशन की तिथि से ३० दिन के अंदर आपत्तियां /सुझाव आमंत्रित किये जाते है, संबंधित हितग्राही निर्धारित तिथि १३-०४-२०२४ को सांय ४.०० बजे तक अपनी आपत्तियां लिखित रूप में अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत केलाखेड़ा जिला-ऊधम सिंह नगर के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

"प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उप-नियम, 2022"

अध्याय-1

1. **संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख:-**

(i) ये उप-नियम नगर पंचायत केलाखेड़ा **"प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उप-नियम-2022"** कहलायेंगे।

(ii) ये उप-नियम नगर पंचायत केलाखेड़ा के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

(iii) ये उपनियम क्रेन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निर्यात के आदेश के लिए अपने उत्पाद के विनिर्माण के लिए निर्यातोन्मुख ईकाइयों या विशेष आर्थिक जोन की ईकाइयों पर लागू नही होगा, परन्तु यह छूट गुटखा, तम्बाकू और पान मसाला के पैकेजिंग में लगी ईकाइयों और अधिशेष या निराकृत, अवशेष और इसी प्रकार के अन्य उत्पादों पर भी लागू नही होगी।

2. ये उप-नियम नगर पंचायत केलाखेड़ा की अधिकारिता के भीतर उपलब्ध प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक, विनिर्माता, उत्पादनकर्ता, आयातक ब्रांड के मालिक तथा उपयोगकर्ता पर लागू होगी।

3. परिभाषायें:- इन उपविधियों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) अधिनियम से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) अभिप्रेत है।

(ख) ब्रांड मालिक ऐसे व्यक्ति या कम्पनी से अभिप्रेत है जो किसी पंजीकृत ब्रांड लेबल के तहत कोई वस्तु बेचता है।

(ग) कैरी बैग्स से प्लास्टिक सामग्री या कम्पोस्ट योज्य प्लास्टिक सामग्री से बनाया, ले जाने या वस्तुयें तैयार करने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त बैग अभिप्रेत है जिसमें स्वतः ले जाने की विशिष्टता है किन्तु इसमें ऐसा बैग सम्मिलित नही है जो ऐसी पैकेजिंग गठित करता है या अभिन्न भाग बनता है जिसमें माल को उपयोग के पूर्व सील किया जाता है।

(घ) "वस्तु से" ऐसा मूर्त मद अभिप्रेत है जिसे खरीदा या बेचा जा सके और इसमें सभी पण्य माल या सौदा सम्मिलित हैं।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत केलाखेड़ा
ऊधम सिंह नगर

Scanned with OKEN Scanner

(ड) "कम्पोस्ट योज्य प्लास्टिक से ऐसी प्लास्टिक अभिप्रेत है जो जैविकीय प्रक्रियाओं द्वारा विघटनीय होने के दौरान कार्बन-डाई आक्साईड, जल, अकार्बनिक यौगिकों को कम्पोस्ट करती है और अन्य ज्ञात कम्पोस्ट योज्य सामग्रियों के साथ जैव भार की समरूप दर है और जो दृश्य विशेषणीय या विषाक्त अपशिष्ट नही छोड़ती है।

(च) "विघटन" से किसी सामग्री का बहुत छोटे भागों में भौतिक रूपों में भंजन अभिप्रेत है।

(छ) "विस्तारित उत्पादक दायित्व" से इसके जीवन तक उत्पाद के पर्यावरणीय रूप से सुदृढ के लिये उत्पादक का दायित्व अभिप्रेत है।

(ज) "खाद्य पदार्थ" से द्रव, चूर्ण, ठोस या अर्धठोस रूप में खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ, फास्ट फूड, प्रसंस्कृत या पकाये हुए खाद्य पदार्थ अभिप्रेत है।

(झ) "सुविधा" से प्लास्टिक अपशिष्ट के एकत्रण, भण्डारण, पुनर्चक्रीकरण, प्रसंस्करण और निपटान के लिए उपयोग किये जाने वाला परिसर अभिप्रेत है।

(ञ) "आयातकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो आयात करता है या करने का इरादा रखता है और जिसके पास आयात-निर्यात करने का लाईसेन्स है जब तक उसे अन्यथा विशेष रूप से छूट नही दी गई हो।

(ट) "संस्थागत अपशिष्ट जनित " से केन्द्रीय सरकारी विभागों, राज्य सरकारी विभाग, पब्लिक या प्राइवेट सैक्टर कंपनिया , अस्पताल, स्कूल, महाविद्यालय , विश्वविद्यालय या शिक्षा के अन्य स्तर, संगठन, अकादमी, होटल, रेस्तरा, मॉल और शौपिंग परिसरों द्वारा अधिकृत भवन जैसे संस्थागत भवनों का अधिभोगी अभिप्रेत है और सम्मिलित है।

(ठ) "विनिर्माता" से उत्पादक द्वारा कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली प्लास्टिक की कच्ची सामग्री के उत्पादन में लगा व्यक्ति या ईकाई या अभिकरण अभिप्रेत है जो सम्मिलित है।

(ड) "वहुस्तरीय पैकेजिंग" के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त की जाने वाली कोई सामग्री अभिप्रेत है और कागज, कार्ड बोर्ड बहुलक्ष्य सामग्रियां , धात्विक सतहों या एल्युमिनियम पन्नियां जो या तो लेमिनेट के रूप में या सह-वर्हिविधन रूप में जैसे सामग्री के एक से अधिक सतह का संयोजन मुख्य संघटकों के रूप में प्लास्टिक का कम से कम एक स्तर रखती है।

(ढ) "प्लास्टिक" से ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जिसमें पोलीइथाइलिनटेरेफथलेट , उच्च घनत्व पोलीइथाइलिनविनाइल, कम घनत्व पोलीइथाइलिन, पोली प्रोपीलीन, पोलीस्टाइरिन रेसिन, एकरीलीनोट्रायल-बूटाडाइन-स्टाइरिन जैसी वह सामग्री, पोलीफिनाइलीन आक्साइड, पोलीकार्बोनेट, पोलीबूटीलीन टेरेफथलेट जैसी उच्च पालिमर के आवश्यक तत्व अंतर्विष्ट हों।

(ण) "प्लास्टिक चादर " से प्लास्टिक चादर अभिप्रेत है अर्थात प्लास्टिक से वनी चद्दर।

(त) "प्लास्टिक प्लास्टिक अपशिष्ट" से ऐसे किसी प्लास्टिक से अभिप्रेत है जिसे उपयोग के पश्चात या इच्छित उपयोग के पश्चात फैंक दिया जाता है।

(थ) "उत्पादक" से केरीबैग या बहुस्तरीय पैकेजिंग या प्लास्टिक सीट या जैसे के विनिर्माण या आयात में लगा व्यक्ति अभिप्रेत है और प्लास्टिक सीट या जैसे या प्लास्टिक सीट के बनाये गये कवर या वस्तु की पैकेजिंग या ढकने के लिए वहुस्तरीय पैकेजिंग का उपयोग कर रहे उद्योग या व्यक्ति सम्मिलित है।

(द) **"पुनर्चक्रीकरण"** नये उत्पाद उत्पादित करने के लिए पृथक्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट को नये उत्पाद या कच्ची सामग्री में रूपान्तरित करने की प्रक्रिया से अभिप्रेत है।

(घ) "रजिस्ट्रीकरण" से यथास्थिति राज्य प्रदूषण नियन्त्रण वोर्ड या सम्वद्व प्रदूषण नियन्त्रण समिति में रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत है।

(न) "पथ विक्रेता" का वही अर्थ होगा जो पथ विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम 2014 (2014 का 7) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (1) में है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत केलाखेड़ा

Scanned with OKEN Scanner

(प) "शहरी स्थानीय निकाय" से नगर पंचायत केलाखेड़ा अभिप्रेत है सम्मिलित है।

(फ) "अप्रयुक्त प्लास्टिक" से ऐसी प्लास्टिक सामग्री अभिप्रेत है जिसका पहले उपयोग नही किया गया। अपशिष्ट के साथ भी सम्मिश्रित नही किया गया है।

(ब) अपशिष्ट जनित से प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संस्था, भारतीय रेल, विमान पत्तन, बन्दरगाह और रक्षा कैन्टोन्मेंट, जो अपशिष्ट प्लास्टिक पैदा करते है सहित रिहायशी और वाणिज्यिक स्थापना अभिप्रेत है और सम्मिलित है।

(भ) अपशिष्ट प्रबन्धन से प्लास्टिक अपशिष्ट का पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित पद्वति से एकत्रण, भण्डारण, परिवहन, पुनः उपयोग, पुनः प्राप्ति, पुनर्चक्रण, कम्पोस्टिंग या व्ययन अभिप्रेत है।

(म) अपशिष्ट चुनने वाले से पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट के चुनने में स्वैच्छिक रूप से लगे या प्राधिकृत किये गये व्यक्ति या एजेन्सियां, व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है।

(य) थरमोस्टेट प्लास्टिक, जब ताप या अन्य साधन से उत्पादित तात्विक रूप से अगलनीय या अघुलनीय उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है थरमोस्टेट एक प्रकार का प्लास्टिक है जो अपने संगठित रसायनिक संरचना के कारण रिमोड या रिसाइकिल नही किया जा सकता।

अध्याय-2

प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबन्धन-

4- नगर पंचायत केलाखेड़ा द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबन्धन निम्नवत किया जायेगा-

(क) प्लास्टिक कैरी वैग से अन्यथा प्लास्टिक- अपशिष्ट जिसका रिसाइकिल किया जा सकता हो, निबन्धित प्लास्टिक अपशिष्ट रिसाइकिल के साथ चेनलाईज करेगी और भारतीय मानक आई0एस0 14534 : 1998 प्लास्टिक रिसाइकिलिंग के लिए मार्गदर्शन समय- समय पर यथा संशोधन के अनुरूप संपुष्ट करेगी।

(ख) शहरी स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट (प्राथमिक रूप से प्लास्टिक अपशिष्ट जिसका आगे रिसाइकिल नही किया जा सकता) सड़क निर्माण या ऊर्जा प्राप्ति अथवा अपशिष्ट से तेल इत्यादि के लिए उपयोग हेतु प्रोत्साहित करेगी। केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्रदूषण नियन्त्रण मानको के अनुसार इन तकनीकियों का पालन किया जायेगा।

5- शर्तों का पूरा किया जाना- नगर पंचायत केलाखेड़ा का विचार है कि प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग गंम्भीर पर्यावरणीय समास्याये उत्पन्न कर रहा है जिससे मानव एवं जीव जन्तुओं का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि नगर पंचायत केलाखेड़ा की सम्पूर्ण अधिकारिता में प्लास्टिक कैरी बैग विनिर्माण, आयात, भण्डारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग पर रोक लगाई जाय।

(i) कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत केलाखेड़ा की अधिकारिता में किसी भी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग (साईज और मोटाई का विचार किये विना) विनिर्माण आयात, भण्डारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग नही करेगा।

(ii) दुकानदार, वेंडर, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, व्यवसायी, हाकर, फेरीवाला सहित कोई भी व्यक्ति किसी भी खाने या न खाने योग्य माल या सामग्रियों के या वितरण के लिए किसी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग (साईज और मोटाई का विचार किये बिना) विनिर्माण आयात, भण्डारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग नही करेगा।

(iii) वायोमेडिकल के लिए प्लास्टिक कैरी वैग, वीजांकुर के लिए उपयोग किया जाने वाला पालीबैग, प्लास्टिक सीट से बना प्लास्टिक सीट या ऐसी ही वस्तु का विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, विक्रय और उपयोग तथा मल्टीलेयर पैकेजिंग निम्नलिखित शर्तो के अध्याधीन होगी। यथा-

1- वायोमेडिकल अपशिष्ट के भण्डारण के उपयोग किया जाने वाला प्लास्टिक कैरी बैग को इस उपविधि के प्राविधानों से छूट प्राप्त होगी तथापि प्लास्टिक कैरी वैग मोटाई में 50 माइक्रोन से कम नही होंगे और बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली में इस सम्बन्ध में

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत केलाखेड़ा
ऊधम सिंह नगर

Scanned with OKEN Scanner

किये गये प्राविधानों का भी पूरा पालन किया जाना चाहिए। बायोमेडिकल अपशिष्ट वाला प्लास्टिक कैरी बैगों का निपटारा बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 में किये गये प्रावधानों के अनुपालन में किया जाना चाहिए।

2- रिसाईकिल किये गये प्लास्टिक के बने उत्पादों का उपयोग खाने पीने के लिए तैयार भोज्य पदार्थो के भण्डारण, ले जाने, वितरण या पैकेजिंग के लिए नही किया जायेगा।

3- वर्जिन या रिसाईकिल किये गये प्लास्टिक से बने कैरी बैग पर, उसकी मोटाई पर विचार किये बिना, नगर पंचायत केलाखेड़ा की अधिकारिता में रोक लगेगी।

4- राज्य पर्यावरण एवं वन विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीजांकुर की वृद्धि करने के लिए उपयोग किये गये पालीबैग मोटाई में 50 माइक्रोन से कम न हों और सभी उपयोग किये गये पालीबैगों का पुनः संग्रहण एवं उनके सुरक्षित निपटारें को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

5- निजी नर्सरियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीजांकुर की वृद्धि के लिए उपयोग किये जाने वाले पालीबैग मोटाई में 50 माइक्रोन से कम न हों प्राईवेट नर्सरियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सर्वाधिक समयवधि तक इन पालीबैगों का दोबारा उपयोग हो।

6- निजी तथा सरकारी नर्सरी यह सुनिश्चित करेगी कि सभी उपयोग किये गये पालीबैगों को एक स्थान पर संग्रह किया जाय तथा उसे नगर पंचायत को निर्धारित फीस का भुगतान कर हस्तगत कर सकें।

7- प्लास्टिक सीट या ऐसी ही वस्तु जो मल्टीलेयर किये गये पैकेजिंग तथा वस्तुओं की पैकेजिंग चारैपिंग के लिए उपयोग किये गये प्लास्टिक के बने कवर के अभिन्न भाग न हों उनको छोडकर जहा ऐसे प्लास्टिक सीट की मोटाई उत्पादों की क्रियाशीलता को कम करते हों की मोटाई 50 माइक्रोन से कम नही होगी।

8- विनिर्माता राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से विधि मान्य रजिस्ट्रेशन प्राप्त किये बिना उत्पादक को कच्चे माल के रूप में प्लास्टिक का उपयोग किये जाने हेतु विक्रय या उपलब्ध या व्यवस्था नही करेगा।

9- पाउच के रूप में उपयोग किये जाने वाले प्लास्टिक मैटेरियल का उपयोग गुटखा, तम्बाकू तथा पान मसाले के भण्डारण पैकिंग या विक्रय के लिए नही किया जायेगा।

10- प्लास्टिक मैटेरियल का उपयोग विनाईल ऐसेटेट-मालैक एसिड, विनाईल क्लोराइड, कोपालिमर सहित किसी भी रूप में नही किया जायेगा।

अध्याय-3

प्लास्टिक शीट/मल्टीलेयर पैकेजिंग का मार्किंग या लेबलिंग-

6 (i) खुदरा विक्रेता या स्ट्रीट वेंडर प्लास्टिक की शीट या मल्टीलेयर पैकेजिंग में वस्तुओं को ग्राहक को नही बेचगे या उपलब्ध करेगे जो इस उप विधि के अधीन यथा विहित रूप में विनिर्मिता और लेबल या मार्क न किया गया हो।

(ii) वस्तुओं को मल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक शीट से बने कवरों में जो इस उप विधि के अनुसार विनिर्मित या लेबल या मार्क न किये गये हों विक्रय या उपलब्ध करने वाले प्रत्येक खुदरा विक्रेता या स्ट्रीट वेंडर ऐसी फीस भुगतान करने का उत्तरदायी होगा जो उप विधि के अधीन अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये हों।

(iii) मल्टी लेयर पैकेजिंग पर विनिर्माता का नाम, निबन्धन सं0 मल्टीलेयर पैकेजिंग की दशा में अग्रेंजी में मुद्रित होगा।

अध्याय-4

उत्पादक, रिसाईक्लर और विनिर्माता का निबन्धन

7(i) नियम 5 (ii) में किये गये प्रावधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक कैरी बैग या रिसाईकिल प्लास्टिक कैरी बैग का विनिर्माण नही करेगा तथापि मल्टीलेयर पैकेजिंग मैटेरियल का विनिर्माण केवल राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से उत्पादन आरम्भ करने के पूर्व एक विधि मान्य रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के बाद किया जा सकता है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत केलाखेड़ा
ऊधम सिंह नगर

Scanned with OKEN Scanner

(ii) प्लास्टिक मैटेरियल, मल्टीलेयर पैकेजिंग के सभी उत्पादक रिसाईकलर एवं विनिर्माता प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 में किये गये प्राविधानों के अनुसार राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से रजिस्ट्रेशन और नवीकरण प्राप्त करेगे।

अध्याय-5

प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण, पृथक्करण, प्रसंस्करण

8. प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण पृथक्करण एवं प्रसंस्करण निम्नवत किया जायेगा-

(क) शहरी स्थानीय निकाय अपने संसाधनों से प्लास्टिक अपशिष्ट के उत्पादन और प्लास्टिक अपशिष्ट पृथक्करण को कम करने हेतु कदम उठायेगी।

(ख) शहरी स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट के छितराव को कम करने तथा सेकेन्डरी स्टोरेज डिपो/सामुदायिक डस्टवीन पर अपशिष्ट के पृथक किये गये भण्डारण के लिए कदम उठायेगी प्लास्टिक अपशिष्ट केवल नॉन बायोडिग्रेडेबल या ड्राई वेस्ट बिन में ही एकत्रित किया जायेगा।

(ग) सेकेन्ड्री स्टोरेज पॉइंट/डिपो/ट्रांसपोर्ट स्टेशनो पर शहरी स्थानीय निकाय अपशिष्ट उठाने वालों तथा अन्य सामाजिक आयोजनकर्ताओं को प्लास्टिक गिलास तथा कागजों को रिसाईकिल एवं पुनः उपयोग के लिए प्रोत्साहित करेगी। अनौपचारिक अपशिष्ट उठाने वालों को ड्राई रिसाईक्लेबल अपशिष्ट को संग्रह करने तथा प्राधिकृत रिसाईक्लर्स को उसे बेचने की स्वीकृति भी उनकी जीविका को उपार्जन के लिए सीधे दी जायेगी।

(घ) शहरी स्थानीय निकाय गीला एवं सूखा कूड़े के पृथक्करण के इनसे मैटेरियल के साधन, मैटेरियल रिकवरी सुविधा की स्थापना के माध्यम से पेपर, लोहा, शीशा, ई वेस्ट, पालीथीन, चमडे, जूते, पेट वोटल रवर इत्यादि जैसे ड्राई वेस्ट के भण्डारण एवं छटाई के लिए अलग वीन या भण्डार की व्यवस्था के साथ सुनिश्चित करेगी।

(ड) शहरी स्थानीय निकाय आवश्यकताओ/स्थानीय हालात के अनुसार अन्य प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्ध तकनीकी जैसे- प्लाज्मा पाइरोला द्वारा तकनीकी, बेलिग प्रेस और रिफ्यूज ड्राईव्ड फ्यूल (आर.डी.एफ.) निर्माण, सीमेंट क्ले तथा प्लास्टिक श्रेडिंग को-प्रोसेसिंग की स्थापना की भी जांच पडताल करेगी।

(च) शहरी स्थानीय निकाय कचरे चुनने वालों की उनका उपयोग एम.आर.एफ. और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा में करके कायापलट की सक्रीय रूप से कार्य करेगी।

(छ) शहरी स्थानीय निकाय अनौपचारिक वेस्ट पिकर्स/कबाडी वाले एवं एस.एच.जी. के लिए स्वास्थ्य के मुद्दों, जीविका तथा आय उत्पादक क्रियाकलापों पर लगातार संवेदना ग्रह, सेशन प्रोग्राम आयोजित करेगी।

(ज) वोकेशनल प्रशिक्षण जैसे पेपर बैग बनाना, कार्टन बैग, सिलाई, कूशन मेकिंग इत्यादि का प्रशिक्षण देने का कार्य भी करेगी।

अध्याय-6

9- **मोनिटरिंग क्रिया विधि-**

(क) इन उप विधियों के प्राविधानों के सफल क्रियान्वयन हेतु नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा की जायेगी। इस निमित्त हेतु इसके सदस्य अधिशासी अधिकारी द्वारा नामित किये जायेंगें।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत केलाखेड़ा
ऊधम सिंह नगर

Scanned with OKEN Scanner

अध्याय-7

उपयोग कर्ता फीस तथा जुर्माना

10- प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह, प्रर्वतन और प्रबन्धन के लिए उपयोगकर्ता फीस का लागू होना- शहरी स्थानीय निकाय द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रवन्धन उपविधि के अनुसार संग्रहित उपयोगकर्ता फीस का 15 प्रतिशत प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रवन्धन के प्रयोजनार्थ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

11- उल्लंघन पर जुर्माना-

(क) इस उपविधि के आरम्भ की तिथि को और उसके बाद पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्लास्टिक कैरी वैग पर प्रकाशन अधिसूचना के अनुसार एक माह तक जन साधारण को जानकारी/चेतावनी दी जा सकेगी। जिसके वाद इस उपविधि का कोई उल्लंघन अनुसूची-1 में यथाविहित जुर्माने से इस उपविधि के भंग के प्रत्येक अवसर पर दण्डनीय होगा।

(ख) यदि कोई दुकानदार या स्ट्रीट वेंडर शहरी स्थानीय निकाय की अधिकारिता में किसी वस्तु को देने के लिए प्लास्टिक कैरी बैग उपलब्ध करते हुए पाया जाता है तो शहरी स्थानीय निकाय प्रत्येक ऐसे अवसर पर अनुसूची-1 में यथा विनिर्दिष्ट जुर्माना अधिरोपित करेगी।

(ग) यदि कोई दुकानदार या स्ट्रीट वेंडर वस्तुओं को प्लास्टिक कैरी बैग या प्लास्टिक के बने मल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या कवर में जिसका विनिर्माण लेबल या मार्क उप विधि के अनुसार नही किया गया हो विक्रय या उपलब्ध करता है तो प्रत्येक ऐसे अवसर पर अनुसूची- 1 में यथा विनिर्दिष्ट जुर्माना भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

(घ) नगर पालिका परिषद् अधिनियम के अंतर्गत नगर पंचायत के अधिकारी उपविधियों के प्राविधानों के उल्लघंनकर्ता से स्पॉट पर जुर्माना वसूल करेगे।

12- व्यतिक्रम की दशा में कार्यवाही :-

कोई विनिर्माता, उत्पादक , आयातक, स्टाकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर, दुकानदार, स्ट्रीट वेंडर जो जुर्माना नही देगा वह सम्पत्ति कर के बकाये के रूप में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा वसूली के लिए उत्तरदायी होगा। बार-बार अपराध करने वालों के विरूद्व नगरपालिका अधिनियम के प्राविधानों/स्थापित नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

अध्याय-8

आवेदकर्ता का वार्षिक रिर्टन

13- आवेदन तथा वार्षिक रिटर्न (पी.डब्लू.एम. नियमावली 2016)

(क) प्रत्येक उत्पादक रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण प्रयोजनार्थ, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रवन्धन नियमावली 2016 के प्राविधानों के अनुसार फार्म-1 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड के समक्ष एक आवेदन देगा।

(ख) अपशिष्ट (वेस्ट) रीसाइक्लिग या प्रोसेसिंग करने वाला अथवा प्लास्टिक अपशिष्ट का रिसाईकिल या प्रोसेस का प्रसंस्करण चाहने वाला प्रत्येक व्यक्ति रीसाइक्लिग यूनिट के रजिस्ट्रेशन अथवा रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रवंधन नियमावली 2016 के प्राविधानों के अनुसार फार्म में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष एक आवेदन देगा।

(ग) उत्पादक द्वारा कच्चा माल के उपयोग किये जाने हेतु शहरी स्थानीय निकाय की अधिकारिता में प्लास्टिक के विनिर्माण में लगा प्रत्येक विनिर्माता रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए फार्म-III में राज्य प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड के समक्ष एक आवेदन देगा।

(घ) प्लास्टिक अपशिष्ट के रीसाइक्लिग एवं प्रोसेसिग में लगा प्रत्येक व्यक्ति फार्म-IV में एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा तथा प्रत्येक वर्ष 30 जून तक राज्य प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड की जानकारी में शहरी स्थानीय निकाय को समर्पित करेगा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत केलाखेड़ा
ऊधम सिंह नगर

Scanned with OKEN Scanner

(ङ) नगर पंचायत केलाखेड़ा फार्म-V में वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगी और प्रत्येक वर्ष 30 जून तक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जानकारी में निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून को समर्पित करेगा।

अध्याय-9

स्टॉक होल्डर का उत्तरदायित्व :-

14.1 नगर पंचायत केलाखेड़ा का उत्तरदायित्व:-

(क) शहरी स्थानीय निकाय स्वंय के खर्च पर अथवा किसी अन्य सरकारी एजेंसी के माध्यम से एजेंसियों या उत्पादकों को लगाकर प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण भण्डार परिवहन, प्रोसेगिंस तथा निपटारें के लिए आधारभूत सरंचना विकसित करेगी।

(ख) शहरी स्थानीय निकाय अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली के समन्वय तथा सहयोजित कृत्यों के पालन के लिए जिम्मेदारी होगी, यथा-

1. प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, भण्डारण, परिवहन प्रोसेसिंग तथा निपटारे को सुनिश्चित करना।
2. इस प्रोसेगिंस के दौरान यह सुनिश्चित करना कि पर्यावरण को कोई नुकसान न हो,
3. रिसाईकिलर्स को रिसाईक्लेबल प्लास्टिक अपशिष्ट खण्ड का चैनलाइजेशन सुनिश्चित करना
4. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत मार्गदर्शन के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट के गैर- रिसाईक्लेबल खण्ड के प्रोसेसिंग तथा निपटाव को सुनिश्चित करना।
5. सभी स्टेकहोल्डरों के बीच उनकी जिम्मेदारियों के बारे में जागरुकता पैदा करना।
6. वेस्ट पिकर्स के साथ सिविल सोसाईटी या समूल को शामिल करना।
7. यह सुनिश्चित करना प्लास्टिक को खुले में न जलाया जाय।

(ग) शहरी स्थानीय निकाय स्वंय या किसी एजेंसी को लगाकार प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण केन्द्रो की स्थापना, करेगी। जहाँ कोई अपशिष्ट उत्पादक संग्रहण केन्द्र की स्थापना करेगी जहाँ कोई अपशिष्ट उत्पादक या वेस्ट पिकर्स सीधा प्लास्टिक अपशिष्ट को जमा कर सके। यह प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण के स्त्रोत, खुले में जलाने पर रोक इत्यादि की जानकारी फैलाने तथा सवेदन ग्रहण के लिए भी एक स्थान होगा।

(घ) शहरी स्थानीय निकाय अपनी अधिकार क्षेत्र में प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग करके समस्या उत्पन्न करने, पर्यावरण पर प्लास्टिक के अल्पकालीन एंव दीर्घकालीन प्रभाव, प्लास्टिक के बदले गैर प्लास्टिक इत्यादि पर लगातार जागरुकता पैदा कर प्लास्टिक उपयोग को कम करने प्रोत्साहित करेगी और उसके लिए बजट का प्रावधान करेगी।

(ङ) जुर्माने के रुप में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा संग्रह की गई निधि पृथक खाते में रखी जाएगी और अपनी अधिकारिता के भीतर तर्कसम्बन्धी आधारभूत सरंचना तथा सब तरह से अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली के धोषणा के लिए उपयोग की जाएगी।

(च) शहरी स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए प्रणाली स्थापित करने के लिए विनिर्निमाताओं उत्पादकों तथा ब्रांड स्वामियों की सहायता लेगी।

14.2 अपशिष्ट उत्पादक की जिम्मेदारी-

(क) अपशिष्ट उत्पादक निम्नलिखित कार्य होंगे-

(i) प्लास्टिक अपशिष्ट कम तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 (समय –समय यथा संशोधित)के अनुसार स्त्रोत पर ही प्लास्टिक अपशिष्ट को पृथक करना तथा इसे गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट के लिए वने विन में संग्रह करना।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत केलाखेड़ा
ऊधम सिंह नगर

Scanned with OKEN Scanner

(ii) प्लास्टिक कूडा-कचरा न फैलाना तथा स्रोत पर ही अपशिष्ट पृथक्कृत भण्डारण सुनिश्चित करना एंव रजिस्टर्ड वेस्ट पिकर्स रजिस्टर्ड रिसाईक्लर्स या वेस्ट संग्रहण के लिए शहरी स्थानीय निकाय द्वारा वेस्ट संग्रहकर्ता या प्राधिकृत एजेंसी को हस्तगत कर देना।

(ख) प्लास्टिक अपशिष्ट के सभी संस्थागत उत्पादक ठोस अपशिष्ट नियमावली 2016 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अपषिश्ट उत्पादित अपशिष्ट को पृथक करेंगे तथा जमा करेंगे।

(ग) सभी अपषिश्ट उत्पादक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन जैसे अपशिष्ट संग्रहण या प्रवर्तन या उसी सुविधा इत्यादि के लिए फीस या शुल्क का भुगतान करेंगे जो इस हेतु नगर पंचायत द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2017 के अनुसार में विनिर्दिष्ट की जाय।

(घ) खुली जगह में कोई समारोह आयोजित किये जाने या एक सौ से अधिक व्यक्तियों को एक जगह जमा करने जिसमें प्लास्टिक या मल्टीलेयर पैकेजिग में योजना सामग्री देना अतिग्रस्त हो के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति ऐसे समारोह के दौरान उत्पादित अपशिष्ट को पृथक करेगा और प्रतिबन्धित करेगा। ऐसे समारोह कार्य आयोजन से कम से कम तीन कार्य दिन पूर्व शहरी स्थानीय निकाय को सूचित करना चाहिए तथा शहरी स्थानीय निकाय द्वारा यथा नियत दैनिक रेंटल चार्ज का भुगतान कर वैसे पृथक्कृत अपशिष्ट के भण्डारण के लिए 1.1 वर्ग मी0 का दो की संख्या में कन्टेनर रखने हेतु नगर पंचायत केलाखेड़ा से अनुरोध किया जाना चाहिए।

14.3 <u>उत्पादक आयातक तथा ब्रांड मालिक के उत्तरदायित्व</u> :-

(क) उत्पादक उप विधि के प्रकाषन की तिथि से 6 माह की समयसीमा के भीतर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व आधारित अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली के लिए मॉडलिटी तैयार करना तथा निदेशक शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड को व्यक्तिगत रूप से सामूहिक रूप से अपने वितरण चैनल या सम्बन्धित स्थानीय निकाय के माध्यम से उसे अन्तरित करेंगे।

(ख) उत्पादक राज्य प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत होगे।

(ग) सभी उत्पादक, ब्रान्ड मालिक या आयातक जो मल्टीलेयर प्लास्टिक शीट या पाउच या पैकेजिंग इत्यादि का उपयोग करते हुए अपने उत्पादों का विक्रय विपणन करते हुए अपने उत्पादों के चलते उत्पादित अपशिष्ट को वापस संग्रह करने की प्रणाली स्थापित करने के लिए प्राथमिक रुप से जिम्मेदार होगें।

(घ) उपयोग किए गए मल्टीलेयर प्लास्टिक सेचेट या पाउच या पैकेजिंग के सग्रहण की प्राथमिक जिम्मेदारी उत्पादकों, आयात को और ब्रान्ड स्वामियों की है, जो बाजार में उत्पादों को उपस्थापित करते है। उनके उत्पादों के चलते उत्पादित प्लास्टिक अपशिष्ट वापस संग्रह करने हेतु कोई प्रणाली स्थापित करना उनकी आवश्यकता है। यह संग्रहण योजना स्थापना या प्रवर्तन या नवीनीकरण हेतु सहमति के लिए आवेदन करते समय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समर्पित करनी है।

(ड) प्रत्येक उत्पादक कच्चे माल के रुप में प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार वस्तु या प्लास्टिक शीट या मल्टीलेयर पैकेजिंग के बने कमरे के निर्माण हेतु प्लास्टिक की आपूर्ति में लगे व्यक्तियों के ब्यौरे का एक अभिलेख संधारित करेगा।

(च) प्लास्टिक का उपयोग करते हुए रिसाईक्लेबल मल्टीलेयर तथा पेपर आधारित कार्टून पैकजिंग सामग्री के विनिर्माता/ब्रांड मालिक, उत्पादक अपनी विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ई.पी.आर.) योजना जिसमें प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण के लिए विद्यमान वेस्ट वर्कर्स /स्क्रैप ट्रेडर्स, रिटेलर्स, के साथ समन्वय/सहयोग और उनके स्वंय स्थापित रिसाईक्लिग प्लांट या उत्पादक उत्तरदायी संगठन (पी0आर0ओ0) स्थापित करके रजिस्टर्ड रिसाईकिलर्स जो अभिन्न प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन संग्रहण से अंतिम निपटारे तक 100 प्रतिशत जिम्मेदार होगें, कर्मठता क्रियान्वित करेगें।

(छ) पी.ई.टी. वोतल (P.E.T. BOTTLE) उत्पादकों/उद्योगों को यह सुनिश्चित करने की पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि उत्पादकों द्वारा यथा विनिश्चित वापसी दर या खरीद वैंक दर पर रिटेलर्स से इन बोतलों का संग्रहण किया जाय। और यह सुनिश्चित करेगें कि इनका रिसाईकिल किया जाय। पी.ई.टी. बोतलों पर वापसी/खरीद वैंक की कीमत स्पष्ट रुप से मुद्रित करने की जिम्मेदारी उत्पादकों की है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत केलाखेड़ा
ऊधम सिंह नगर

Scanned with OKEN Scanner

(ज) वहुसंख्या में पी.ई.टी. वोतल उपभोक्ताओं जैसे होटल, मैरिज हॉल/पार्टी हॉल, वाह्य खेल, स्थानों कार्यालयों/संस्थाओं की प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण के लिए उपलब्ध करना उनके लिए आज्ञापक होगा।

(झ) रिटेल पैकेजिंग मैटेरिल के लिए विनिर्माता संघ तथा रिटेलर के खरीद वैक क्रिया विधि के माध्यम से ग्रॉसरिज एंव अभाव के पैकिंग के लिए उपयोग किए गए प्लास्टिक पैकिंग के लिए उपयोग किए गए प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्रियों के संग्रहण एक क्रिया विधि सृजित करके सामूहिक रुप से कार्य करेगें तथा संग्रह की गई प्लास्टिक सामग्रियों का रिसाईक्लिंग करना तथा निपटारा करना सुनिश्चित करेगें।

14.4 <u>रिटेलर्स स्ट्रीट वेंडर, खाने वालों/हॉकर इत्यादि की जिम्मेदारी</u> :-

(क) दुकानदार, वेंडर, थोक विक्रेता, रिटेल वेंडर खाने वाले हॉकर, फेरीवाला या सब्जीवाला सहित कोई भी व्यक्ति खाने योग्य या न खाने योग्य माल या सामग्रियों के भण्डार वितरण के लिए किसी भी प्रकार के कैरी बैंगों का विक्रय भण्डारण या वितरण या उपयोग नही करेगा।

(ख) प्लास्टिक कैरी बैग का दुकानदार/विक्रेता रिटेलर या ट्रेडर्स, पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के दिनांक से समय सीमा के भीतर उद्योग विक्रय स्टॉक समाप्त कर देगें, उस कालावधि के वाद किसी ऐसे प्लास्टिक कैरी वैग विक्रय भण्डारण या उपयोग इस उपविधि की अनुसूची-1 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट जुर्माने के अधीन होगा।

(ग) मल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या इस प्रकार वस्तु या प्लास्टिक शीट के बने कवरों, जो इस नियमावली के अनुसार विनिर्मित या लेवल न किया गया हो, वस्तुओं को बेचने वाला या उपलब्ध करने वाला प्रत्येक रिटेलर या स्ट्रीट वेंडर इस उपविधि की अनुसूची-1 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट जुर्माने के भुगतान का दोषी होगा।

14.5 <u>राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एस.पी.सी),उत्तराखण्ड शासन की जिम्मेदारी</u> :-

(क) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्लास्टिक उत्पादों के विनिर्माण तथा मल्टीलेयर पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और प्लास्टिक अपशिष्ट के निपटारे से सम्वन्धित इस नियमावली के प्राविधानो को लागू करने हेतु प्राधिकार होगा।

(ख) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखण्ड शासन प्लास्टिक अपशिष्ट नियमावली 2016 के क्रियान्वयन पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समर्पित करेगा।

14.6 <u>जिला स्तरीय समीक्षा एंव मोनिटरिंग समिति</u> :-

(क) ठोस एंव प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन क्रियाकलापों से सम्बन्धित कार्यो की समीक्षा एंव मोनिटरिंग करना।

(ख) ठोस अपशिष्ट एंव प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन पर जिला के शहरी स्थानीय निकाय की कार्य योजना का पुनर्वलोकन करना तथा प्लास्टिक एंव ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 के सभी प्राविधानों को क्रियान्वित करना।

(ग) ठोस अपशिष्ट एंव प्लास्टिक अपशिष्ट का वेसलाईन डेटा बेस तैयार करने तथा स्थिति विश्लेषण करने हेतु शहरी स्थानीय निकायों को निर्देश देना।

(घ) ठोस अपशिष्ट/प्लास्टिक प्रबन्धन अभियान की प्रगति का मोनिटरिंग करना और यथावश्यक सामयिक सुधार करना तथा नियमित समीक्षा करना एंव नगर विकास एंव आवास विभाग तथा अन्य राज्य समन्वय एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

(ङ) शहरी स्थानीय निकाय के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एंव ठोस अपशिष्ट प्रोसेसिंग डिस्पोजल सुविधा स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान और स्थान निर्धारण पर तीन माह पर कम से कम एक बार शहरी स्थानीय निकाय के कार्यपालन की समीक्षा सभी समिति करेगी।

(च) वार्ड स्वच्छता समिति, सहायक संगठन, लाईन विभागों तथा सिविल सोसाईटी संगठनों के साथ प्रणाली स्थापित करने में जो ठोस तथा प्लास्टिक अपशिष्ट के सामुदायिक स्तर पर मोनिटरिंग तथा प्रबन्धन करने का समर्थन करने के समन्वय से सीधा निर्देश देगी और कार्य करेगी।

(छ) शहरी स्थानीय निकाय के परामर्श से वार्ड स्तरीय मोनिटरिंग के लिए किसी समिति/उपसमिति को उत्तरदायित्व सौपेगी।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत केलाखेड़ा
ऊधम सिंह नगर

Scanned with OKEN Scanner

14.7 <u>सिटी स्कवाड/टास्कफोर्स की जिम्मेदारी सिटी स्कवाड/टास्कफोर्स निम्नलिखित कार्यो का जिम्मा लेगा-</u>

(क) नगर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न दुकानों भोजशालाओं, सब्जीवालों तथा वाणिज्यक दुकानों में अचानक निरीक्षण का संचालन करना और इन व्यवसायीयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैगों को जब्त करना।

(ख) प्रतिबंधित पॉलिथीन पैकेजिंग मैटेरियल तथा 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाला और जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रवन्धन नियमावली 2016 में किए गए प्राविधानों के अनुसार लेबल अथवा मार्क नही किए गऐ हो सहवद्ध उत्पादों को जब्त करना।

(ग) इस उपविधि की अनुसूची-1 में विहित व्यतिक्रमियों से जुर्माना वसूल करना।

(घ) नगर प्लास्टिक कैरी बैगों अंतराज्य सचंलन तथा विक्रय को रोकना।

(ड) नगर प्लास्टिक कैरी बैगों का किसी बाहर के क्षेत्र से किसी व्यक्ति/व्यवसायी/स्टाकिस्ट को बेचने से रोकना।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत केलाखेड़ा
ऊधम सिंह नगर

Scanned with OKEN Scanner

अनुसूची-1

क्र० सं०	अपराध	प्रशमन चार्ज		
		प्रथम बार	द्वितीय बार	प्रत्येक बार दुहराए जाने पर
१	मोटाई और आकार का विचार किए बिना प्लास्टिक कैरी बैगों के उत्पादन, वितरण व्यवसाय, भण्डारण विक्रय	२०००	३०००	५०००
२	प्लास्टिक कैरी बैंग का उपयोगकर्ता			
i	वाणिज्यक उपयोगकर्ता	१५००	२५००	३५००
ii	घरेलू उपयोगकर्ता	१००	२००	५००
३	मल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या ऐसी ही वस्तु या प्लास्टिक शीट से बने कवर जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रवन्धनों के अनुसार विनिर्मित लेबल या मार्क नही किए गए हों, मे वस्तुओं का उपयोग विक्रय या उसे उपलब्ध करना।	२०००	३०००	५०००
४	प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में जलाना।	२०००	३०००	५०००
५	सार्वजनिक स्थानों पार्क, नाला, पुरातात्विक स्थलों तथा अन्य प्रतिबंधित स्थानों मे प्लास्टिक अपशिष्ट का फैलाना।	१०००	१५००	२०००
६	शहरी स्थानीय निकाय को सूचना दिए बिना इस उपविधि के अनुसार व्यवस्था किए बिना कोई समारोह या सभा आयोजित या एक सौ से अधिक व्यक्तियों को जमा करने के जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति	१५००	२०००	२५००

इस उपविधि के प्राविधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति (निर्माता, उत्पादक, आयातक, खुदरा विक्रेता, सडक विक्रेता, स्टाकिस्ट इत्यादि) के साथ पाए गए प्रतिबंधित सामान इस उप-कानून के प्राविधानो में उल्लिखित अनुसार जब्त कर लिया जायेगा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत केलाखेड़ा
ऊधम सिंह नगर

Scanned with OKEN Scanner

फॉर्म - IV

(प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 का)

(नियम 17(1)के अधीन)

स्थानीय निकाय के नाम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसिंग या रिसाईकिलिंग सुविधा के ऑपरेटर द्वारा समर्पित किए जाने वाले वार्षिक रिर्पोट का प्रपत्र।

क्र0 स0	रिपोर्ट की कालावधि	
1	सुविधा ऑपरेटर का नाम और पता	
2	सुविधा के प्रभारी अधिकारी का नाम	
	टेलीफोन	
	फैक्स	
	मोवाईल	
	ई-मेल	
3	हैसियत	
4	प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबन्धन के लिए उपयोग की जानेवाली प्रौद्योगिकी	
5	वर्ष के दौरान स्रोत के साथ-साथ रिपोर्ट की जाने वाली प्राप्त प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा	
6	प्रसंस्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्र (टनों में)	
7	भूमि को भरने वाले स्थल पर अंतिम निपटारे के लिए भेजी गई निष्क्रिय या अस्वीकृत की मात्रा	
8	फार्म भरने की सुविधा का ब्यौरा जिसके अंतिम निपटारे के लिए निष्क्रिय या अस्वीकृत भेजे गए थे पता - टेलिफोन -	
9	पर्यावरणीय शर्तों के अनुपालन की स्थिति यदि सहमति या रजिस्ट्रेशन मंजूरी के दौरान विनिर्दिष्ट किया गया हो सलंग्न किया जाय।	
	दिनांक: स्थानः	आपॅरेटर का हस्ताक्षर

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत केलाखेड़ा
ऊधम सिंह नगर

Scanned with OKEN Scanner

फॉर्म - V

(प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 का)

(नियम 17 (2) के अधीन)

शहरी विकास एंव आवास विभाग के प्रभारी सचिव को शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन पर किए जाने वाले वार्षिक रिपोर्ट का प्रपत्र।

क्र0 सं0	रिपोर्ट की कालावधि	
1	नगर, शहर और राज्य का नाम	
2	जनसंख्या	
3	वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र	
4	शहरी स्थानीय निकाय का नाम और पता-	
	टेलिफोन संख्या-	
	फैक्स संख्या-	
	ई-मेल-	
5	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में वार्डो की कुल संख्या	
6	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में मकानों की कुल संख्या	
7	डोर-टू-डोर संग्रहण द्वारा आच्छादित मकानों की संख्या	
8	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में वाणिज्यक स्थापनाओं और संस्थाओं की कुल संख्या	
9	वाणिज्यक स्थापनाये	
	संस्थाएं	
10	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में उत्पादि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए रखे गये यंत्र के साथ-साथ डोर-टू-डोर संग्रहण के लगी एजेंसियों के ब्यौरे का संक्षिप्त विवरण	
11	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र से उत्पादित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए स्थान पर लगाए गये आधारभूत संरचना का ब्यौरा सलंग्न करें।	

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत केलाखेड़ा
ऊधम सिंह नगर

Scanned with OKEN Scanner

12	अपेक्षित आधारभूत संरचना का ब्यौरा औचित्य के साथ-साथ यदि कोई हो, सलंग्न करें।	
13	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र से वर्ष के दौरान उत्पादित अपशिष्ट की मात्रा (टनों में)	
14	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र से वर्ष के दौरान संग्रह किये गए प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टनों में)	
15	वर्ष के दौरान रिसाईक्लिग के लिए चैनल कृत प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टनों में)	
16	वर्ष के दौरान उपयोग के लिए चैनल कृत प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टनों में)	
17	वर्ष के दौरान भूमि भराई स्थल को भेजे गये निष्क्रिय या अस्वीकृत मात्रा (टनों में)	
18	प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रोसेसिंग और निपटारे के लिए उपयोग की गई प्रत्येक सुविधा का ब्यौरा	
	सुविधा-I	
	ऑपरेटर का नाम	
	पता-	
	टेलिफोन या मोबाईल संख्या-	
	क्षमता-	
	उपयोग की गई प्रौद्योगिकी -	
	रजिस्ट्रेशन संख्या	
	रजिस्ट्रेशन की विधिमान्यता तक-	
	सुविधा- II	
	ऑपरेटर का नाम	
	पता-	
	टेलिफोन या मोबाईल संख्या-	
	क्षमता-	
	उपयोग की गई क्षमता-	
	रजिस्ट्रेशन की विधिमान्यता तक-	

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत केलाखेड़ा
ऊधम सिंह नगर

Scanned with OKEN Scanner

19	गली में झाड़ू लगाने, सेकेन्डरी भण्डार परिवहन, प्रोसेसिंग तथा अपशिष्ट का निपटारा सहित शहरी स्थानीय निकाय के स्वंय के द्वारा फैलाई गई मानव पत्ति का ब्यौरा दें।	
20	गली में झाडू लगाने भण्डार परिवहन, प्रोसेसिंग तथा अपषिश्ट का निपटारा सहित संग्रहण के लिए ठेकेदार रियायत ग्राही व्यक्ति द्वारा फैलाई गई मानव शक्ति का ब्यौरा दें।	
21	वित्तीय दवाब, यदि कोई हो, सहित इस नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अनुभव की गई कठिनाईयों को संक्षेप में वर्णन करें।	
22	क्या नगर में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के उपायों को विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है, यदि हाँ (प्रतिलिपि सलंग्न करें) पुनरीक्षण की तिथि-	

15-03-2023

(राज कुमार भारती)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत केलाखेड़ा
ऊधम सिंह नगर

(अकरम खान)
अध्यक्ष
नगर पंचायत केलाखेड़ा
ऊधम सिंह नगर

Scanned with OKEN Scanner